डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

कन्हैया बनाम हरीसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,188,183 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 78/2016

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादीगण स. 3 लगायत 6 को आराजी खसरा नम्बर 4677 रकवा 0.12 वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई 1/3 हिस्सा के बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा मृतक छिददी पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई के इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाता है।

बिज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22.03.2021 को जारी की गई।

दस्तखत——

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

मुहर

मुददई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

1. कन्हैया उम्र 68 साल पुत्र लटटे जाति जाटव निवासी कबई तह. नदबई जिला भरतपुर राज.
2. किशन उम्र 63 साल पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तह. नदबई जिला भरतपुर राज।
3. मोहनदेई उम्र 62 साल पत्नि छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज।
4. नंदकिशोर उम्र 39 साल पुत्र छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज।
5. श्रीमान उम्र 28 साल पुत्र छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज
6. रीना उम्र 22 साल पुत्री छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज।

— वादीगण

<u>बनाम</u>

1. हरीसिंह उम्र 60 साल पुत्र परभाती (मृतक)
2. नथुआ उम्र 36 साल पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. भूपसिंह उम्र 33 साल पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. अतरसिंह उम्र 28 साल पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
5. सोबरन उम्र 45 साल पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी कबई तह. नदबई जिला भरतपुर राज.
6. ओमप्रकाश उम्र 45 साल पुत्र परभाती जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. दलबीर उम्र 35 साल पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. हरीचरन उम्र 50 साल पुत्र पूरन जाति निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं.:— 78 / 16
जी.सी.एस.एम. नं.:— 2016 / 00046
किस्म — दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 ,183 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :— 22.03.2021

1. कन्हैया उम्र 68 साल पुत्र लटटे जाति जाटव निवासी कबई तह. नदबई जिला भरतपुर राज.
2. किशन उम्र 63 साल पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तह. नदबई जिला भरतपुर राज।
3. मोहनदेई उम्र 62 साल पत्नि छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज।
4. नंदकिशोर उम्र 39 साल पुत्र छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज।
5. श्रीमान उम्र 28 साल पुत्र छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज
6. रीना उम्र 22 साल पुत्री छिददी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज।

— वादीगण

<u>बनाम</u>

1. हरीसिंह उम्र 60 साल पुत्र परमाती (मृतक)
2. नथुआ उम्र 36 साल पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. भूपसिंह उम्र 33 साल पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला
4. अतरसिंह उम्र 28 साल पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
5. सोबरन उम्र 45 साल पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी कबई तह. नदबई जिला भरतपुर राज.
6. ओमप्रकाश उम्र 45 साल पुत्र परमाती जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. दलबीर उम्र 35 साल पुत्र डरोला जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. हरीचरन उम्र 50 साल पुत्र पूरन जाति निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री [illegible] (वादी की ओर से)
दावा अन्तर्गत धारा 88,89,18[illegible] आर.टी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

1. यह कि मुकदमा फरीकेन केसभी पक्षकारान बालि[illegible] व स्वस्थ चित्त है। तथा दावा लड़ने के योग्य है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

2. यह कि आराजी खसरा नम्बर 4677 रकवा 0.12 वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसके 1/3, 1/3 हिस्से पर वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक खातेदार व काबिज है। तथा 1/3 हिस्से पर वादीगण सं. 3 लगायत 6 बाहिस्सा बराबर खातेदार की तरह काबिज है। सत्यप्रति जमाबंदी सं. 2070 से 2073 वाके ग्राम कबई द्वितीय वादपत्र के साथ संलग्न हैं

3. यह कि सहखातेदार छिददी पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके वादी सं. 3 लगायत 6 बारिस है।

4. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र की आराजी के 1/3 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से वादीगण सं. 3 लगायत 6 के पति व पिता मृतक छिददी के नाम के सहखातेदारी के इन्द्राजात चले आ रहे है। जिससे वादीगण सं. 3 लगायत 6 के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता हैं अतः वादीगण सं. 3 लगायत 6 अपने आपको विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र की आराजी पर 1/3 हिस्से पर बा हिस्सा बराबर खातेदार काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा मृतक छिददी के नाम के इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करापाने के अधिकारी है।

5. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र खसरा नम्बर 4677 रकवा 0.12 वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई गॉव की आबादी के नजदीक हैं जिसे वादीगण कृषि जींस व कृषि समान रखने व मवेशी आदि बांधने के काम में लेते चले आ रहे है। उक्त आराजी में वादीगण ने कृषि जींस व कृषि सामान रखने हेतु तीन छप्पर पोश कोठा बना रखे है। तथा बिटोरा व घूँडा रख हुआ है। तथा भूस रखने के लिए दो बुर्जी भी बना रखी है।

6. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 ने व मुकाम कबई तहसील नदबई पर वादीगण को दिनांक 8.04.2016 को यह एलानियां धमकी दी है। िकवे जबरदस्ती लटठ के बल पर विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र खसरा नम्बर 4677 रकवा 0.12 वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई पर जबरन कब्जा करके रहेंगे तथा वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करके रहेंगे। प्रतिवादीगण ने अपनी उपरोक्त धमकी को कामयाब करने की गरज से विवादित आराजी के कुछ भाग में में घूँडा डाल दिया व लकडी रख दी तथा ऊपलों की बिटोरिया लगा दी तथा दो बुर्जी का निर्माण कर दिया तथा भुस भर दिया एवं पुक्ता निर्माण कर लेने की धमकी दी अगर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण सिक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नही हो सकेगी। वादीगण बर्बाद हो जावेगे। अतः वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 को किसी भी प्रकार का नबीन निर्माण न करने बाबात स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है तथा विवादित आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 द्वारा दखिण की तरफ रास्ता की बगल से घूँडा हटाये जाने व लकडी हटाये जाने तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी में उत्तर पूर्व की दिशा में प्रतिवादीगण द्वारा निर्मित दो बुर्जी व बि[illegible] ऊपलो की को हटवा पाने के अधिकारी है। तथा उक्त प्रतिवादीगण [illegible] भाग से हटा पाने व बेदखल करा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि बिनाया मुखासमत दावा प्रतिवादीगण सं. 1 लग[illegible]त 8 द्वारा ब मुकाम कबई तहसील नदबई पर दिनांक 08.04.2016 को वादीगण को एलानिया धमकी दिये जाने से व उक्त

कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

दिनांक को जबरन घूँडा व लकडी प्रतिवादीगण द्वारा रखने से ब बुर्जी निर्माण करने व बिटोरा रखने से पैदा हुई है।

8. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र की आराजी व मुकदमा फरीकेन के न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने व निवास करने से अदालत श्रीमान को वादपत्र को सुनवाई के अधिकार प्राप्त है।

9. यह कि कोर्ट फीस व तलवाना हस्ब कायदा चस्पाकर पेश है।

10. यह कि वादपत्र वादी निम्न तरीके से डिक्री फरमाया जावे

अ. यह घोषित किया जावे कि वादीगण सं. 3 लगयात 6 विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र खसरा नम्बर 4677 रकवा 0.12 वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई 1/3 हिस्सा के बाहिस्सा बराबर खातेदार व काबिज है। तथा मृतक छिददी पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई के इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने के अधिकारी है।

ब. यह कि स्थाई निषेधाज्ञा बाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण सं. 1लगायत 8 विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई नवीन निर्माण कार्य न करे तथा वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल न करें

स. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र खसरा नम्बर 4677 रकवा 0.12 वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई में वादीगण द्वारा जबरन लटठ के बल पर दिनांक 08.04.2016 को निर्मित की गई दो बुर्जी, पॉच बिटोरिया ऊपलो की व लकडी ईंधन घूँडा आदि को हटवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से उनका कब्जा हटवाया जाकर बेदखल किया जावे।

दावागण का वाद पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 8 तामील बावजूद अनुपस्थित होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2070—2073 वाके ग्राम कबई प्रदर्श—1 लगायत 3 , नकल नक्शा ट्रैस वाके ग्राम कबई तथा मौखिक बयान के रूप में वादी कन्हैया पुत्र लटटे जाति जाटव निवासी कबई, जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। तथा बहस अन्तिम में पत्रावली नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के विद्वान वकील द्वारा एक तरफा बहस की गई तथा वाद पत्र में दर्ज विवादित आराजी बाबात तथ्यो को दौहराया गया तथा धारा 183 आर.टी.ए. लगाई गयी है

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक ... नदबई (भरतपुर) राज.

जिसेसे हमे कोई रिलीफ नही चाहते है। तथा शेष मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने वादीगण के विद्धान वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, तो पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2070–2073 वाके ग्राम कबई प्रदर्श–1 लगायत 3 पेश कि गई जिसमे विवादित आराजी ख.न. 4677 रकवा 0.12 हैक्ट. पर किसन पुत्र रूपसिंह जाति जाट व छिद्दी पुत्र दिलसुख, कन्हैया पुत्र लटटे कौम जाटव सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। सहखातेदार छिददी पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके वादी सं. 3 लगायत 6 बारिस है। उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से वादीगण सं. 3 लगायत 6 के पति व पिता मृतक छिददी के नाम के सहखातेदारी के इन्द्राजात चले आ रहे है। जो काबिल कलमजन के है। जिससे वादीगण सं. 3 लगायत 6 के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता हैं जो काबिल कलमजन के है। अतः वादीगण सं. 3 लगायत 6 विवादित आराजी पर 1/3 हिस्से पर बा हिस्सा बराबर खातेदार काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा मृतक छिददी के नाम के इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करापाने के अधिकारी है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक ब्यान पेश किये गये जो वादीगण के वाद पत्र को समर्थना करता है। तथा वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में बताया बया कि धारा अन्तर्गत 183 आर.टी.ए. जो वाद पत्र के लगाई गयी है जो उक्त धारा से हमे कोई रिलीफ नही चाही गयी है। अत उक्त धारा वादीगण के वकील द्वारा विड्रो किया गया । इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र काबिल डिक्री के है।

अतः आदेश है कि वादीगण स. 3 लगायत 6 को आराजी खसरा नम्बर 4677 रकवा 0.12 वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई 1/3 हिस्सा के बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा मृतक छिददी पुत्र दिलसुख जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई के इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाता है।

22.03.2021

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज•